

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-6/अ0प्र0-02-06/2015

8728

/पटना दिनांक-17.12.19

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत दिनांक-10.10.2019 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की गयी। समिति की अनुशंसा के अनुरूप बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग-2 के सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधे नियुक्त अभियंताओं को संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 30 वर्षों के नियमित सेवा होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित अभियंताओं को क्रमशः उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो स्तम्भ-7 में अंकित है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ गृह जिला	मूल कोटि की संयुक्त वरीयता-2016 का क्रमांक	जन्म तिथि	अभियंता संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (30 वर्ष)	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का वेतनमान/वेतन स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री माँ0 तनवीर आलम तारिक/मधुवनी	24	12.09.1960	22.06.1987 स0अ0	22.06.2017	वेतन स्तर-13
2	श्री अरुण कुमार महतो/दरभंगा	65	18.01.1961	16.06.1987 स0अ0	16.06.2017	वेतन स्तर-13A
3	श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा/पटना	47	01.01.1960	25.06.1987 स0अ0	25.06.2017	वेतन स्तर-13
4	श्री पुरेन्द्र प्रसाद सिंह/रोहतास	37A	10.06.1962	24.06.1987 स0अ0	24.06.2017	वेतन स्तर-13
5	श्री बिनोद बिहारी शर्मा/पटना	51	01.02.1963	19.06.1987	19.06.2017	वेतन स्तर-13
6	श्री शंकर दयाल शुक्ल/इलाहाबाद (उ0प्र0)	53	30.06.1964	22.06.1987	22.06.2017	वेतन स्तर-13
7	श्री जयप्रकाश/दरभंगा	45	29.03.1960	23.06.1987 स0अ0	23.06.2017	वेतन स्तर-13


- वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (ii) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 के कंडिका-12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

Chandan 14/12/19

मंगल 11/12/19

4. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


14/12/19
(संजय दूबे)

सरकार के अपर सचिव

/पटना दिनांक- 17.12.19

ज्ञापांक-6/अ0प्र0-06-06/2015

8729

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


14/12/19

सरकार के अपर सचिव


/पटना दिनांक- 17.12.19

ज्ञापांक-6/अ0प्र0-06-06/2015

8729

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।


14/12/19


सरकार के अपर सचिव

/पटना दिनांक- 17.12.19

ज्ञापांक-6/अ0प्र0-06-06/2015

8729

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-02, 03, 04, 05 एवं 06/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/12/19

सरकार के अपर सचिव

Chandra

17